न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 95/2024 **G.C.M.S. No.** 2024/398 दर्ज दिनांक : 26.09.2024

अपीलार्थिगण:

1. भवानीसिंह पुत्र उदयसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी– कालका कॉलोनी, राजेन्द्र नगर, जालोर तहसील व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. जब्बरसिंह पुत्र तेजसिंह
2. पुखराज पुत्र तेजसिंह तमाम जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण– थांवला, तहसील आहोर, जिला जालोर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 29/2024 बअनवान जब्बरसिंह बनाम पुखराज वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.06.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी

उपस्थित–

1. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराडा, श्री महिपाल सिंह जैतावत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ललित खत्री, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1
3. श्री चंदनमल छीपा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांक: 13.12.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 29/2024 बअनवान जब्बरसिंह बनाम पुखराज वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि सहायक कलक्टर आहोर में रेस्पोंडेंट संख्या 1 जब्बरसिंह ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा थांवला तहसील आहोर के खसरा संख्या 121, 122, 123, 124 एवं 433, 58, 59/632 कुल रकबा 12.65 हैक्टेयर की आराजी मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी पुखराज की आई हुई हैं, जिस पर हम दोनों सामलाती कब्जाकाश्त है तथा हम दोनों 1/2–1/2 हिस्से पर अलग–अलग काबिज है। कई बार मुझ प्रार्थी ने बंटवारा करने हेतु मौखिक

राजस्व अपील अधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

निवेदन किया। लेकिन वे नहीं माने एवं पिताजी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेचान करने पर तुले हुए हैं एवं कई बार सहमति से बंटवाडा करने हेतु समझाईश की, किन्तु वे नहीं मानें। अब बंटवाडा का दावा पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पेश किया। जिसका दावा व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर नोटिस जारी किए गए। लेकिन तामील नहीं हुए। इसके बावजूद भी दिनांक 24.05.2024 को रेस्पोंडेंट संख्या 2 पुखराज ने अपीलांट को जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 24.05.2024 को खसरा संख्या 433 रकबा 2.66 हैक्टेयर में से आधा हिस्सा खरीद कर लिया है तथा म्यूटेशन संख्या 1242 दिनांक 24.05.2024 को म्यूटेशन भरा गया। तब से अपीलांट का राजस्व रेकर्ड खातेदार अनुसार कब्जाकाश्त है। किन्तु रेकर्डेड खातेदार होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया एवं न ही अपीलांट को साक्ष्य–सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र दरख्वास्त बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाने का पेश किया था। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पत्रावली पर शामिल मिसल किया गया एवं न ही इस संबंध में कोई मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु आदेश पारित किया गया। केवल मात्र अपीलांट को उनकी रेकर्डेड खातेदारी भूमि से बेदखल करने एवं जबरन कब्जा करने की नियत से अस्थाई निषेधाज्ञा से अपीलांट को गैर कानूनी तरीके से पाबंद किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समय रहते किसी सक्षम अधिकारी से मौका रिपोर्ट मंगवाकर तलब की गई होती तो वास्तविकता का पता चल जाता। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं कर एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में अप्रार्थीगण को आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित 151 सीपीसी की पालना में अप्रार्थीगण को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी करने थें। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में आज दिन तक न तो नोटिस जारी किए व न ही भेजे गयें। ऐसा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में जारी किए जाने का कहीं कोई उल्लेख नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश की अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थीं। जब रेस्पोंडेंट उसके कब्जाकाश्त की आराजी पर आकर धमकी देकर, कब्जा खाली करने का कहने लगे, तब अपीलांट ने इनको मना किया कि हमनें यह जमीन खरीदी हैं और हमारा कब्जा होने से मौके पर फसल खड़ी हैं। लेकिन वे नहीं माने, तब अपीलांट ने दिनांक 09.09.2024 को एसडीओ कोर्ट आहोर में जाकर उक्त आदेश की नकल मांगी, जो उसी रोज मिली। नकल मिलने व पूरी पढ़ने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत जाकर उक्त विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील आदेश को अपास्त फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2024 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 26.09.2024 को प्रस्तुत की। अपील में हुए विलंब के संबंध में अपीलांट के द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश की अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थीं। जब रेस्पोंडेंट उसके कब्जाकाश्त की आराजी पर आकर धमकी देकर, कब्जा खाली करने का कहने लगे, तब अपीलांट ने इनको मना किया कि हमनें यह जमीन खरीदी हैं और हमारा कब्जा होने से मौके पर फसल खड़ी हैं। लेकिन वे नहीं माने, तब अपीलांट ने दिनांक 09.09.2024 को एसडीओ कोर्ट आहोर में जाकर उक्त आदेश की नकल मांगी, जो उसी रोज मिली। नकल मिलने व पूरी पढ़ने पर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। अतः विलंब सद्भाविक होने से विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा निवेदन किया कि अपील अपीलांट म्याद बाहर है तथा विलंब के लिए कोई सद्भाविक कारण नहीं दिया है। अतः अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।
3. हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 08.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली अप्रार्थी की तलबी में नियत रहीं। इसी दरम्यान आदेशिका दिनांक 28.06.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की तथा पत्रावली आदेश 39 नियम 1, 2 सीपीसी की पालना एवं अप्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 13.08.2024 को नियत की गई। दिनांक 13.08.2024 की आदेशिका अनुसार पत्रावली आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु दिनांक 10.09.2024 को नियत की गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जिसकी आदेश दिनांक से अपीलांट को जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। लिहाजा, विलंबकाल सद्भाविक एवं

राजस्व अपील अधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

युक्तियुक्त होने से माफी योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 433 का आधा हिस्सा अपीलांट प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.05.2024 को पंजीकृत विक्रय–विलेख से क्रय कर लेने तथा वादग्रस्त आराजी में हित निहित होने के आधार पर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के मध्य अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडे से संबंधित है। जिसमें अपीलांट पक्षकार नहीं हैं। अपीलांट द्वारा जैर वाद विचारण वादग्रस्त आराजी का क्रय किया है तथा अपीलांट द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई व्यादेश दिनांक 28.06.2024 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं। इस संबंध में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 08.02.2024 से दर्ज होकर जैरकार है। अपीलांट द्वारा दिनांक 24.05.2024 को पंजीकृत विक्रय–विलेख से वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी का क्रय किया है। जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय को सूचित करने या अधीनस्थ न्यायालय से अनुमति लिए जाने बाबत कोई उल्लेख अपीलांट द्वारा नहीं किया है। अपीलांट के पास यह पर्याप्त अवसर है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पक्षकार संयोजन बाबत कार्यवाही कर सकता है। जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ही गुणावगुण के आधार पर आरंभिक निर्णय करने के लिए सक्षम है। अपीलांट द्वारा एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु निवेदन किया जाना विधिसंगत एवं उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अपीलांट का उक्त कृत्य विधिक प्रक्रिया का अनावश्यक एवं गैर जरूरी दुरूपयोग है। अतः हमारे विनम्र मत में उक्त प्रकरण में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती। लिहाजा, अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी सारहीन होने से खारिज किया जाकर फलस्वरूप अपील अपीलांट अनुमति के स्तर पर अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति विधारित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोंडेंट्स दर्ज किए जाने की अनुमति विधारित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली